न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 102 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. कानसिंह गोद पुत्र हरीसिंह 2. बक्ताराम पुत्र उतमाराम 3. बागाराम पुत्र उतमाराम 4. गेमराराम उर्फ गोविन्दसिंह पुत्र उतमाराम सभी जाति पुरोहित सभी निवासी रामसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर	1. सांगा उर्फ संग्रामसिंह पुत्र जवाराराम उर्फ जवाहरसिंह 2. रामा उर्फ रामसिंह पुत्र जवाराराम उर्फ जवाहरसिंह 3. मका उर्फ मकसिंह पुत्र जवाराराम उर्फ जवाहरसिंह 4. भगवाना उर्फ भगवानसिंह पुत्र जवाराराम उर्फ जवाहरसिंह सभी जाति पुरोहित सभी निवासी रामसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 101 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांटस	रेस्पोडेंटगण
1. कानसिंह गोद पुत्र हरीसिंह 2. बक्ताराम पुत्र उतमाराम 3. बागाराम पुत्र उतमाराम 4. गेमराराम उर्फ गोविन्दसिंह पुत्र उतमाराम सभी जाति पुरोहित सभी निवासी रामसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर	1. सांगा उर्फ संग्रामसिंह पुत्र जवाराराम उर्फ जवाहरसिंह 2. रामा उर्फ रामसिंह पुत्र जवाराराम उर्फ जवाहरसिंह 3. मका उर्फ मकसिंह पुत्र जवाराराम उर्फ जवाहरसिंह 4. भगवाना उर्फ भगवानसिंह पुत्र जवाराराम उर्फ जवाहरसिंह सभी जाति पुरोहित सभी निवासी रामसर तहसील रामसर जिला बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2021 बअनवान सांगा उर्फ संग्रामसिंह वगैरा बनाम कानसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2024 व 25.06.2024 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री पीराणेखान अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 20.11.2024

हस्तगत दोनों ही अपीले एक ही आराजी एवं समान खातेदारों के मध्य विवाद के बिंदुओं को लेकर है इसलिए निर्णय दानों ही अपीलों का साथ किया जा रहा है तथा निर्णय की प्रति पृथक पृथक अपील पर रखी जा रही है।

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट व उतरदाता संख्या 01 से 04 की संयुक्त सहखातेदारी भूमि मौजा सरहद बालेवा तहसील गडरारोड़ में स्थित खसरा संख्या 634 रकबा 25.2523 हैक्टयर यानी 156 बीघा भूमि आई हुई है। जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा है जिसे पृथक खातेदारी घोषित कर बंटवारा करने हेतु हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समंय राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांटस की अनुपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादी का सम्मन तामील नहीं करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को जबाव दावा पेश करने का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार रामसर को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु तहसीलदार रामसर द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा शेष उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा काश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय जिस विभाजन प्रस्ताव के अनुसार पारित की गई वो मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार रामसर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bound सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। बंटवारा प्रस्ताव के संलग्न नक्शे पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटस के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश कियेः—

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

DNJ (Rev) 2022(1) Page 646
RRT 2023(1) Page 476
RRT 2022(1) Page 390

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। हिस्सों को लेकर अपीलांटस को कोई आपति नहीं है। इसलिए अपीलांटस द्वारा पेश प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील चलने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि सभी पक्षकारों की सहमति से हल्का पटवारी व आर. आई. मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अतः अपीलांटस की अपील को खारिज फरमाया जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय रूप से पारित किया गया। उक्त आदेश की पालना करने के लिए विवादग्रस्त भूमि पर दिनांक 27.06.2024 को आकर अप्रार्थीगण ने कहा कि हमारे पक्ष में फैसला हो गया तब प्रार्थी उपखण्ड अधिकारी गडरारोड़ आकर उक्त निर्णय का पता किया तब निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने के लिए दिनांक 02.07.2024 को नकल प्रार्थना–पत्र पेश किया उक्त निर्णय की प्रमाणित दिनांक 02.07.2024 को प्राप्त की तब उक्त निर्णय का प्रथम ज्ञान हुआ। प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त होते ही प्रथम ज्ञान से उक्त अपील अन्दर म्याद आज ही पेश की जा रही

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर अपनी लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकतरफा पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस के नाम से जारी सम्मनों पर व्यक्तिश तामिल नहीं करवाऐ गये। मातहत अदालत द्वारा आनन फानन में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो विधि सममत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटगण को जबाव दावा एवं साक्ष्य सबूत पेश करने हेतु सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि आदेशिका दिनांक 09.04.2024 के अनुसार तहसीलदार को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये थे।अंतिम डिक्री के लिए

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तहसीलदार रामसर से बंटवारा प्रस्ताव मंगवाये और तहसीलदार रामसर ने दिनांक 06.06.2024 के पत्र के साथ कुर्रेजात रिपोर्ट पेश की है, जिसके अवलोकन से प्रकट है उक्त तकासमा रिपोर्ट पटवारी एवं भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा दिनांक 27.05.2024 को तैयार की जिसे तहसीलदार ने फॉरवर्ड की है जिस पर तहसीलदार रामसर द्वारा प्रतिहस्ताक्षर करते हुए अंकित किया गया As propsed by Pt & ILR जो विधि के प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं है। माननीय राजस्व मण्डल की वृहद्धपीठ का निर्णय 2017 आरबीजे पेज 299 में यह प्रतिपादित किया है कि मौके पर तहसीलदार को जाकर बंटवारा प्रस्ताव तैयार करना चाहिए। सहायक कार्मिकों की सहायता ले सकता है। अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2019 आर बी जे पेज 123 में यह प्रतिपादित किया है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट, 1955 धारा 53 व राजस्थान टीनेन्सी(राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 21 तहसीलदार स्वयं भूमि के विभाजन के प्रस्ताव अपने हस्ताक्षर व सील के द्वारा तैयार करेगा। अदालत पटवारी/नायब तहसीलदार /लैण्ड रिकॉर्ड निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री पारित नहीं कर सकते है। अर्थात बंटवारा प्रस्ताव स्वयं तहसीलदार द्वारा ही दोनों पक्षों को नोटिस देकर तैयार कर भेजना है, जो कि इस प्रकरण में नहीं हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 09.04.2024 की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव का मजमून ही साबित कर देता है कि तहसीलदार स्वयं द्वारा मौका मुआवना नहीं किया गया है। तहसीलदार को बंटवारे के मामले में स्वयं मौका देखना चाहिए था जबकि हस्तगत प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर तहसीलदार के प्रतिहस्ताक्षर किये हुए है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिस विभाजन प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए पारित की उक्त विभाजन प्रस्ताव को तैयार करते वक्त अपीलांटगण को सूचना/नोटिस तामिल करवाये बिना उनकी अनुपस्थिति में मौके पर कब्जा काश्त के विपरित तैयार किया गया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री एकपक्षीय पारित की गई जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांटगण की अपील रिमाण्ड करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर रामसर द्वारा राजस्व वाद संख्या 55/2021 बअनवान सांगा उर्फ संग्रामसिंह वगैरा बनाम कानसिंह वगैरह में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.04.2024 व 25.06.2024 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांटगण को जबाव दावा लेकर उभयपक्षकारान को सुनवाई समुचितं का मौका दिया जाकर तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे/मार्ग को मद्देनजर रखते हुए रखते हुए बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण पर विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.12.2024 को उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय निर्णय प्रति के उक्त दिनांक से पूर्व लौटाया जावे।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.11.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर